

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
399	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.4826) दि. 21-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	दिनांक 01 अगस्त 2016 से लागू मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम, 2016 के प्रकरणों में मृतक व्यक्ति के कुटुम्ब के सदस्य को नियमानुसार रोजगार दिया जाना ।	शेष प्रकरण में नियमानुसार रोजगार देने की कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

आनन्द विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
400	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्रं.5070) दि. 21-03-2018 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	मध्यप्रदेश के नागरिकों को आनंद से रहने के लिये मानक मापदंड तैयार किया जाना ।	प्रदेश के नागरिकों को आनंद से रहने के लिये हैप्पीनेस इंडेक्स बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.2848) दि. 21-03-2018 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिला अंतर्गत इंदौर (संचालन-संधारण) संभाग में खराब/बन्द विद्युत मीटरों को बदला जाना।	खराब/बन्द विद्युत मीटरों को माह मई 2018 तक बदलने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
402	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.4080) दि. 21-03-2018 (श्री विष्णु खत्री)	विधान सभा क्षेत्र बैरसिया अंतर्गत चंदेरी एवं चाटाहेडी नवीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य पूर्ण किया जाना।	बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चंदेरी में नवीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य माह जून 2018 तक एवं चाटाहेडी में नवीन विद्युत उपकेन्द्र का कार्य आगामी रबी सीजन के पूर्व पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।		
403	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.4202) दि. 21-03-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत संभाग लहार में सिंचाई हेतु स्थाई/अस्थायी विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर कनेक्शन दिया जाना।	शेष 136 नं. आवेदनों में कार्य प्रगति पर है एवं निर्धारित समय-सीमा में कार्यपूर्ण कर दिये जावेंगे।		
404	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.992) दि. 21-03-2018 (श्री अरूण भीमावद)	विधान सभा क्षेत्र शाजापुर में विद्युतविहीन ग्रामों व टोलों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर विद्युतीकरण किया जाना।	कार्य माह नवम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

जनजातीय कार्य विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
405	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.5039) दि. 21-03-2018 (श्री नीलेश अवस्थी)	मध्यप्रदेश की डीमर, बर्मन, निषाद, केवट, कहार, मलाह, रैकवार, पवेहा, सोधियां आदि जातियों को मांडवी समाज के समतुल्य आरक्षण में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना।	(1) जी हों। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2017 द्वारा मांडवी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। प्रकरण समिति के समक्ष विचाराधीन है।		
406	अतारांकित प्रश्न सं.40 (प्रश्न क्रं.3794) दि. 21-03-2018 (श्री कैलाश चावला)	अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रावास भवन कुकड़ेश्वर के स्थान पर मनासा जिला नीमच में बनाया जाना।	जी हों। विमुक्त जाति बालक छात्रावास मनासा के परिसर में रिक्त भूमि पर भवन की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
407	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.4401) दि. 21-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले की पूजा महिला स्व-सहायता समूह पर खद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा छापा डालने के परिप्रेक्ष्य में चन्द्रशेखर अग्निहोत्री के पत्र दिनांक 20.02.2018 पर जांच/कार्यवाही किया जाना ।	कलेक्टर, सतना से जांच कराई जा रही है । विभाग द्वारा कलेक्टर सतना को प्रकरण की विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं ।		
408	अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.3571) दि. 21-03-2018 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल जिले में आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति में शासन आदेशों के विपरीत अनुभव के अंक दिये जाने की जांच/कार्यवाही किया जाना ।	जांच समिति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
409	अतारांकित प्रश्न सं.144 (प्रश्न क्रं.5122) दि. 21-03-2018 (श्री बाला बच्चन)	निर्भया फंड के अंतर्गत केन्द्र व राज्य शासन द्वारा प्रावधान की गई राशि के उपयोग हेतु नवीन योजनाओं व महिला हेल्पलाइन की कार्य योजनाओं पर कार्यवाही किया जाना ।	नवीन योजनाओं की राशि हेतु राज्य शासन की मैचिंग ग्रांट एवं बजट प्रावधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है । महिला हेल्पलाइन की कार्ययोजना को क्रियान्वित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
410	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.4847) दि. 21-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले में 01.01.2017 से 21.03.2018 तक आवकारी एक्ट अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अभियोजन किया जाना ।	20 प्रकरण अभियोजन हेतु लंबित है, इन प्रकरणों में विवेचना उपरांत अभियोजन किया जायेगा ।		
411	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.2254) दि. 21-03-2018 (श्री आर.डी. प्रजापति)	जिला सागर के लोकायुक्त द्वारा दिनांक 17.11.2015 को जलज रावत, एच.एस. ठाकुर व पंकज कुकरेजा को रिश्वत लेते पकड़ने के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही किया जाना ।	जी हों । प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

वित्त विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
412	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.4886) दि. 21-03-2018 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	मध्यप्रदेश में पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाना ।	माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा विधान सभा में दिनांक 28 फरवरी 2018 को दिये बजट भाषण में पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई है । आदेश जारी किये जाने शेष है ।		
413	अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.2684) दि. 21-03-2018 (श्री दिलीप सिंह परिहार)	म0प्र0 में लिपिक संवर्ग के वेतनमान विसंगति दूर करने हेतु श्री रमेश चन्द्र शर्मा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाना ।	श्री रमेश चन्द्र शर्मा अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होकर विचाराधीन है ।		
414	अतारांकित प्रश्न सं.28 (प्रश्न क्रं.3005) दि. 21-03-2018 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	संचालनालय कोष एवं लेखा को श्री श्यामलाल व्यास एवं श्री ओ.पी. श्रीवास्तव के विरुद्ध की गई शिकायत पर दोषी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना ।	जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए गये शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 21-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
415	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.29 (प्रश्न क्रं.2409) दि. 21-03-2018 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	जिला रतलाम में प्रभारी एस.डी.ओ. श्रीमती लक्ष्मी गामड, संयुक्त कलेक्टर के विरुद्ध म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) के प्रावधानों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना।	(1) जी हों। आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक) (दो) (तीन) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से संबंधित अधिकारी के विरुद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। (2) जी हों। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।		